न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 59/2016

अपीलान्टगण

1. तुलसी पुत्री स्व. देवाराम धर्मपत्नी रेवतराम
2. कमला पुत्री स्व0 देवाराम धर्मपत्नी तुलछाराम दोनों जाति मेघवाल, निवासी–मीनों की ढाणी, चेराई, तहसील औंसिया जिला जोधपुर।
3. गीतादेवी पुत्री स्व0 देवाराम धर्मपत्नी सोमाराम जाति मेघवाल निवासी– खारीबेरी, तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्टगण

1. सन्ताराम पुत्र स्व0 देवाराम
2. भूराराम पुत्र स्व0 देवाराम
3. गेनाराम पुत्र स्व0 देवाराम
4. श्रीमति मोहनी देवी पत्नि स्व0 देवाराम सभी जाति मेघवाल निवासी– पण्डितों का बास, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
5. श्रीमति हंसकी पत्नी सुखनाथ जाति कालबेलिया निवासी पण्डितों का बास, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
6. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बालेसर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तकरण संख्य 321 ग्राम पंडितों का बास जो उप तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 13.06.1994 को पारित किया गया है।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्टगण की ओर से अभिभाषक श्री लादूराम पुनिया।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से अभिभाषक श्री सुधीर सारस्वत

आदेश

दिनांक 29.01.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्व नामान्तकरण संख्या 321 दिनांक 13.06.1994 ग्राम पंडितो का बास जो उप तहसीलदार बालेसर द्वारा स्वीकृत किया गया है, के पेश की गई है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीनी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 स्व0 देवाराम पुत्र भभूताराम की पुत्री, पुत्र व धर्मपत्नि है। स्व0 देवाराम का देहान्त वर्ष 1993 ग्राम पंडितो का बास में हो गया। ग्राम पंडिता के बास के भूमि खसरा नं 101, 142, 45, 141, 143 कुल रकबा 29.15 बीघा जो मृतक देवाराम की सामलाती खातेदारी की थी। स्व0 देवाराम के देहान्त के बाद उत्तराधिकारी हक अपीलार्थिया व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 में बराबर हिस्से में प्राप्त हुआ तथा अपीलार्थी उपरोक्त

भूमि उनके पिता के देहान्त के बाद विरासत का नामान्तकरण अपने नाम से करवाने का अधिकारणी है लेकिन मृतक खातेदार देवाराम के देहान्त के पश्चात् उक्त भूमि का नामान्तकरण 321 दिनांक 13.06.1994 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अपने नाम से स्वीकृत करा दिया जबकि अपीलार्थीगण मृतक देवाराम की जायन्दा पुत्रिया है उनका भी नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम से नामान्तकरण स्वीकृत किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इसे पंजीबद्व की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से अभिभाषक श्री सुधीर सारस्वत ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रकरण में संबंधित मूल नामान्तकरण सख्या 321 ग्राम पंडितों को बास दिनांक 13.06.1994 का तहसीलदार बालेसर से तलब किया गया जो प्राप्त हो गया। उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 22.01.2018 को सुनी गई।

अपीलार्थिया के विद्वान अभिभाषक श्री लादूराम पुनिया ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 321 दिनांक 13.06.1994 ग्राम पंडितो का बास जो उप तहसीलदार बालेसर द्वारा स्वीकृत किया गया है, के पेश की गई है। अपीलार्थीनी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 स्व0 देवाराम पुत्र भभूताराम की पुत्री, पुत्र व धर्मपत्नि है। स्व0 देवाराम का देहान्त वर्ष 1993 ग्राम पंडितो का बास में हो गया। ग्राम पंडिता के बास के भूमि खसरा नं 101, 142, 45, 141, 143 कुल रकबा 29. 15 बीघा जो मृतक देवाराम की सामलाती खातेदारी की थी। स्व0 देवाराम के देहान्त के बाद उत्तराधिकारी हक अपीलार्थिया व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 में बराबर हिस्से में प्राप्त हुआ तथा अपीलार्थी उपरोक्त भूमि उनके पिता के देहान्त के बाद विरासत का नामान्तकरण अपने नाम से करवाने का अधिकारणी है लेकिन मृतक खातेदार देवाराम के देहान्त के पश्चात् उक्त भूमि का नामान्तकरण 321 दिनांक 13.06.1994 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अपने नाम से स्वीकृत करा दिया जबकि अपीलार्थीगण मृतक देवाराम की जायन्दा पुत्रिया है उनका भी नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम से नामान्तकरण स्वीकृत किया। अतः अपीलार्थिया स्व0 देवाराम की जायन्दा पुत्रिया होने के कारण उसके पिता के हक में आई भूमि का उत्तराधिकारी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलार्थिया का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया।

अपीलार्थिया के अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान न्यायालय का ध्यान न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. फरवरी 2002 पृष्ठ संख्या 65 व आर.आर.डी 1994 पृष्ठ संख्या 606 में हुए निर्णय की ओर दिलाकर निवेदन किया कि जहां कोई आदेश (void ab intio) वायड एब इनिश्यिो हो, वहॉ उसे किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। जो इस प्रकरण में भी लागू होती है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के योग्य अभिभाषक श्री सारस्वत ने बहस शुरू करते हुए कथन किया कि प्रस्तुत अपील बहुत देरी से प्रस्तुत की है जो अपील में जो देरी का कारण बताया गया है वह विश्वास करने योग्य नहीं है। अतः अपील म्याद के बिन्दू पर ही खारिज करने का निवेदन किया। इसके साथ ही उन्होनें हाल ही में माननीय सर्वोच्य न्यायालय में हुए निर्णय की ओर सिविल अपील संख्या 7217/2013 वगैरा निर्णय दिनांक 16.10.2015 में हुए निर्णय की ओर दिलाकर निवेदन किया कि अपीलार्थिया की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमनें पत्रावली का विस्तृत अवलोकन किया। प्रस्तुत नजीरे एवम बहस पर मनन किया। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाथिया की अंदरमियाद मानी जाती है।

इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि मृतक देवाराम पुत्र भभूताराम के स्वर्गवास होने के पश्चात् उसके हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि पर हक उनके प्रथम श्रेणी के सभी वारिसानों का होता है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलार्थिया मृतक देवाराम के प्रथम श्रेणी की वारिसान है तो इनका भी नाम अपीलाधीन नामान्तकरण में होना चाहिए।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित ग्राम पंडितो का बास नामान्तकरण संख्या 321 दिनांक 13.06.1994 एतद्व निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बालेसर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक देवाराम पुत्र भभूताराम के प्रथम श्रेणी के वारिसानों की जॉच कर नामान्तकरण की नये सिरे से कार्यवाही एक माह के भीतर नियमानुसार पूर्ण करे।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर